न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 89/2025 बउनवानी सरोज कुमार मीना बनाम तहसीलदार वजीरपुर
निवासी एच.एन.–1,ए–14 न्यू हाउसिंग बोर्ड फेज–2,खोडा गणेशजी रोड किशनगढ अजमेर
GCMS No-2025/ 248

Appeal Number- 321559058234662

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नं व तारीख जो हुकम की तामील के जारी हुए
16.9.2025	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत ऑन लाईन पोर्टल के माध्यम से दिनांक 26.6.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार वजीरपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर " *ग्राम किशोरपुरा के खाता संख्या 57 के ख0न0 1350 से 1353 की पिछले 15 वर्षो से प्रमाणित नक्शा,गिरदावरी रिपोर्ट, उक्त ख0न0 का अन्य कार्य हेतु भू सम्परिवर्तन करवाया गया है या नही , सम्परिवर्तन आदेश सहित कुल 4 बिन्दुओ की प्रमाणित सूचना* " तहसीलदार वजीरपुर से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1)के तहत ऑन लाईन पोर्टल पर प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रेषित की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार वजीरपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार वजीरपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांकः भू0अ0/आरटीआई/2025/94 दिनांक 3.9.2025 एवं पत्रांक 831 दिनांक 12.9.2025 का अवलोकन करने पर पाया गया कि चाही सूचना प्रश्नात्मक होने के कारण अपीलान्ट को सूचना उपलब्ध करवाया जाना सम्भव नही होने के कारण अपीलान्ट को सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है जिसके संबंध मे अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचते है,कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 26.6.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना प्रश्नात्मक होने एवं चाही गयी सूचना का पूर्ण विवरण अंकित नही होने के कारण अपीलान्ट को वांछित सूचना उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक नही है। इसके अतिरिक्त उक्त ख0न0 के नक्शे एवं गिरदावरी की नकल नियमानुसार नकल आवेदन पत्र प्रस्तुत कर प्राप्त करे। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (काना राम) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर Signature Not Verified Digitally signed by Kana Ram Date: 2025.10.21 15:35:32 IST Reason: SelfAttested	

Scanned with OKEN Scanner